

Authorised Signatory

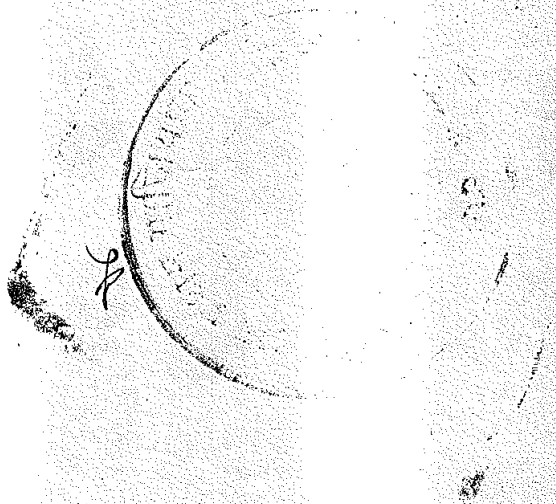
Law Associates (Promoters) Ltd



3. विक्रीत भूमि वत आज दिन तक भुक्त फ़ीस अलग (विक्रीत) की ओर से हर प्रकार के बचक, भार व सरकारी देनदायी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आरुह रहन, बय, हिब, महपदावय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग़रत नहीं है। और न उक्त घर कोई बैंक भूत व बिजली या अन्य किसी प्रकार का लूज़ है। इस विषय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लंबित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लंबित है यानि हर प्रकार से सुरक्षित है।

2. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विकास में स्वतन्त्र अधिनियम की धारा 27(1) हका सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है। यह भूमि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु कृष की जा रही है जिसके लिये केंद्र के पास इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस भी है तथा स्वतन्त्र शासनादेश संख्या 2835/8-1-09-68 दिनांक 11.08.2009, जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिये गये निर्णयानुसार तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 48/सीओआरसी/11 दिनांक 31.01.2011 के अनुसार स्वतन्त्र नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

1. विदित हो कि उपरोक्त वर्णित भूमि स्थित गाम शाहपुर बम्हेटा की हम प्रथम संकल्पना भूमि पर दर्ज है और वही अनुसार हम मालिक व कानिज है और खरीदी है और तदनुसार वर्तमान भू-आलेखों में कम्पनी का नाम बौर नंबर 5517 प्लट संख्या 219-234, सरविस्टर-प्रथम, गाजियाबाद पर अधिकृत है गाजियाबाद से बजटिये बनामा संख्या 7715 दिनांक 11.11.2003 जिसकी लिट पक्ष/विक्रीत ने यह भूमि धनश पुत्र श्री लखवी, निवासी शाहपुर बम्हेटा, विदित हो कि उपरोक्त वर्णित भूमि स्थित गाम शाहपुर बम्हेटा की हम प्रथम



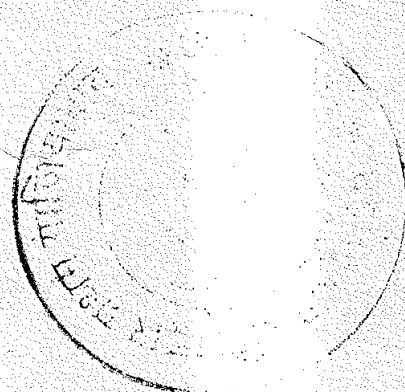
10/12/2017

10/12/2017

10/12/2017

5. यह कि हम विकलांग मुझ फरीक अखल (विकलांग) को वारं वारं लक्ष्मी एवं अन्य निजी आवश्यक्तता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उम्र में भी की चर्चित कोमत केला से मिल रही है। अतः मुझ विकलांग ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इच्छाओं की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त आर्थिक मासिकाना, कालिखाना, दालिखाना-खारिजी, काष्ठल भराई, हर किस्म कच्चा गल के जो कुछ भी अधिकार मुझ विकलांग को मिले हैं या प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है यदि को आल की लालिख में विकलांग धनराशी अंकन 7,41,513/- रुपये (सात लाख इकतालीस हजार पांच सौ तेरह रुपये मात्र) जिसके अर्थ 3,70,756/- (तीन लाख सतर हजार सात सौ छपन रुपये मात्र) होते हैं के एवज में बहाल फरीक दीपम केला उपरोक्त भूखंड अग्रवाल एसीएसएस (प्रमाटर्स) लि० पुराकृत कार्यालय 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 द्वारा सुमनचन्द आहुता पुत्र स्व० श्री के. एल. आहुता, 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बंध कर दिया है यानि कतई बंध दिया है और भी को कुल विकलांग धनराशि मुझ विकलांग ने केला से प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी विकलांग धनराशि बाकी नहीं रही है।

4. विकलांग मासिकगत उम्र के विकलांग में कोई दोष व ग़ुटि नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भीम के संबंध में मुझ विकलांग ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मासिक करार, वसीयतनामा व विकलांग अनुबंध-पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में नहीं निष्पादित किया है और न ही करया है और न ही कही नोटिई द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विकलांग अनुबंध/विकलांग पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जागा है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसका निम्नोक्त फरीक अखल व उनके वारिसान



2

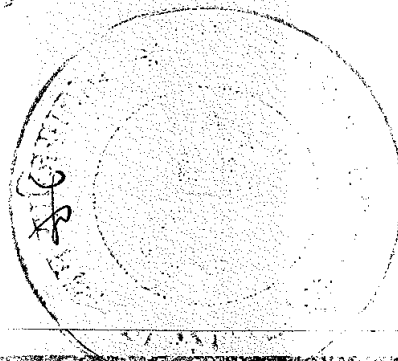
100

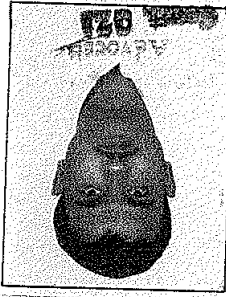
Authorised Signatory

For Aganwal Associates (Promoters) Ltd.

102-5121

- विकास पर प्रथम पक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- वारिसान की दल व अवल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं।
- जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हर्ष खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल से जिम्मेदार होने तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगण को पूर्ण दशा के उत्पन्न होने पर प्रथम पक्ष/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, जो हर ऐसी किसी कानूनी नुस्ख आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या विक्रेता के उत्तराधिकारियों की दवेदारी या और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़े।
8. विक्रीत भूमि पर आज दिन तक प्रथम पक्ष/विक्रेता की ओर कोई भार निकला कोई भी नाम का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ क्रेता कम्पनी का होगा।
- तथा इस विक्रय के बाद भूमि से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के अर्थ से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध नहीं रहा और न कभी विक्रीत भूमि की मिलिकियत, भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी है, विक्रेता/प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। अतः अब विक्रय परचास सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे इस्तेमाल प्रथम पक्ष से करा सकते मालकानाजाल में करिकार क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या जो खर्च दर्ज करवा विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कानूनात में बजटिये बैनमा दाखिल खारिज
- 7.
6. विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता की पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनकी संध्या अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसियत मालकाना प्रयोग में लावे।





ADVOCATE
GZA



Authorised Signatory

For Agriwa Associates (Promoters) Ltd.

वि २-५ वि ३

13. अंकन 7.41.513/- रूपये (सात लाख इकतालीस हजार पांच सौ तेरह रूपये मात्र) द्वारा बैंक नंबर 8312300 दिनांक 25-02-2011 व रूपये 114337/- बैंक नंबर 831239 दिनांक 25.03.2011 व रूपये 114337/- बैंक नंबर 831258 दिनांक 15.03.2011 व रूपये 398504/- बैंक नंबर 831278 दिनांक 15.04.2011 इंडियन बैंक में नई दिल्ली द्वारा फरीक अखिल द्वारा ऑनिस रूप से प्राप्त कर लिये गये है इस प्रकार कुल
12. बिक्री ने विक्रीत भूमि रकबई 0.0400 हेक्टेयर, खाला संख्या 00436 के खसरा संख्या 2261 स्थित ग्राम शाहपुर बस्टेड, परगना जयना, गढ़वाल व जिला गढ़ियाबाद के निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशि प्राप्त कर ली है।
11. अतः यह विक्रय पत्र खूब सीधे समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण यह और समय पर काम आए।
10. विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

9. अतः अब विक्रय पत्राले विक्रीत भूमि की निश्चित भूमि में निहित हिल व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रीत व गारिमान विक्रीत का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

中

